



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223898
CG-DL-E-23122020-223898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4092]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942

No. 4092]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4655(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1586 (अ) दिनांक 22 मई 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के वैशाली जिले में NH77 के कि.मी. 0 से कि.मी. 29.22 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 मई 2020 " को "हिंदुस्तान टाइम्स" और "हिंदुस्तान " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के वैशाली जिले में NH77 के कि.मी. 0 से कि.मी. 29.22 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: वैशाली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भगवानपुर				
	गांव का नाम: मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग				
1	92	निजी	भीठ-0.011 हे०, आवासीय-0.005 हे०	0.016	शिवबालक साह, शीतल साह पिता महादेव साह, वर्तमान मालिक मोहन साह, सोहन साह पिता स्वर्गीय शीतल साह ()
	गांव का नाम: मटिआरा टोक				
2	169	निजी	धनहर 1	0.008	राम परीक्षन राज, सुखदेव राज, वर्तमान मालिक नरेंद्र कुमार यादव, नवीन राय, ललन कुमार पिता सुखदेव राय ()
3	170	निजी	धनहर 1	0.008	राम परीक्षन राय, सुखदेव राय पिता रामचरण राय, वर्तमान स्वामी राम परीचन राय पिता बरण राय, भीखम राय पिता रामलोभित राय ()
	तालुक का नाम: हाजीपुर				
	गांव का नाम: गुरमैन				
1	584	निजी	रेजिडेंशियल	0.006	राजेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह पिता बलदेव सिंह, वर्तमान मालिक पवित्र राम पिता नरसु राय, विधवा रमनी देवी पति स्वर्गीय

					जगलाल राम ()
2	585	निजी	रेजिडेंशियल	0.01	राजेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह पिता बलदेव सिंह, वर्तमान मालिक तारकेश्वर सिंह पिता जालिम सिंह ()
			कुल	0.048	

[फा. सं. 500(E)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4655(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1586 (E) dated 22nd May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH77 on the stretch of land from Km. 0 to Km. 29.22 (Hajipur-Muzaffarpur Section) in the district of VAISHALI in the State of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hinsustan Times” and “Hindustan” both dated 28th May 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH77 in the stretch of land from NH77 (Hajipur-Muzaffarpur) in the district of VAISHALI in the State of BIHAR.

State: BIHAR		District: VAISHALI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhagwanpur				
	Village: Majhauri Mohammadpur Buzurg				
1	92	Private	Bhith-0.011 Hec,	0.016	Shivbalak Sah, Shital Sah S / o Mahadev Sah, Present owner Mohan Sah, Sohan

			Residential- 0.005 Hec		Sah S/o Late Shital Sah
	Village: Matiara Tok				
2	169	Private	Dhanhar 1	0.008	Ram Parichhan Rai, Sukhdev Rai, Present Owner Narendra Kumar Yadav, Navin Rai, Lalan Kumar S/o Sukhdev Rai
3	170	Private	Dhanhar 1	0.008	Ram Parichhan Rai, Sukhdev Rai S/o Ramchran Rai, Present Owner Ram Parichhan Rai S/o Baran Rai, Bhikham Rai S/o Ramlobhit Rai
	Taluk: Hajipur				
	Village: Gurmain				
1	584	Private	Residential	0.006	Rajendra Singh, Kameshwar Singh S/o Baldev Singh, Present owner Pavitra Ram S/o Narsu Rai, Widow Ramni Devi W/o late Jaglal Ram
2	585	Private	Residential	0.01	Rajendra Singh, Kameshwar Singh S/o Baldev Singh, Present Owner Tarkeshwar Singh S/o Jalim Singh
			TOTAL	0.048	

[F. No. 500(E)/3D]

RAJESH GUPTA, Director